झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
।। अधिसूचना ।।

अधिसूचना संख्या–1/

राँची, दिनांकः–

निबधंन अधिनियम, 1908 (अधिनियम 16, 1908) की धारा–22 **"क"** (बिहार संशोधन) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखण्ड, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सरकारी भूमि (कैशरे–हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/वन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के लिए अर्जित/हस्तांतरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) जिसके संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भमि सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया गया हो, के हस्तांतरण विलेख के निबंधन को निबंधन अधिनियम, 1908 की उपर्युक्त धारा 22 **"क"** के अधीन लोकनीति के विरूद्ध घोषित करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–

राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–

राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 1132

राँची, दिनांक– 26.8.15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त–सह–जिला निबंधक/निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/08/15

सरकार के सचिव